19 7/22 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील
प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।
पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे
जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान
में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
प्रार्थीगण के प्रा. पत्र मय शपथपत्र
पेश कर सम्पत्ति होने से मुताबिक [illegible]
पेश प्रमाणित है और सुविधा का
संतुलन व अपूरणीय क्षति का
सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है।
इसलिये मूल वाद के निस्तारण
तक अप्रार्थीगण को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि मौजा निबुला की आराजी
नं. 4332, 4529/4332 से संबंधित
भूमि की विपक्षीगण प्रार्थी की
खातेदारी भूमि में किसी प्रकार
प्रकार की हस्तक्षेप न
न करावे। शांतिपूर्वक उपभोग
उपभोग करने देवे। निर्णय स्टे
हेतु [illegible] सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल
रिकॉर्ड हो।

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested